



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं. एएआई/जेओ/वाणिज्यिक/2021/ ऐप्रल रिटेल/ 246-54

दिनांक: 26/04/2021

पावती सहित स्पीड-पोस्ट

सेवा में,

मैसर्स अभिप्री (Abhipri)

शॉप न. 03, रानी बाग

अजीत भवन सर्किट हाउस रोड,

जोधपुर

विषय: जोधपुर हवाई अड्डे के आगमन कक्ष में ऐप्रल रिटेल आउटलेट शॉप हेतु अनुबंध का अवॉर्ड पत्रा

(E Tender ID No. – 2020_AAI_65760)

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिविल एन्क्लेव, जोधपुर पर आगमन कक्ष में ऐप्रल रिटेल आउटलेट शॉप के लिए लाइसेंस हेतु स्थान 15.00 वर्गमी. की अनुमति 05 (पांच) वर्षों के लिए निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:

आपके द्वारा ऑफर की गयी राशि रु 28,021/- रुपये प्रतिमाह है।

1. लाइसेंस धारक को लाइसेंस फीस का भुगतान निम्नानुसार करना होगा:-

वर्ष	लाइसेंस शुल्क	अतिरिक्त शुल्क
	* (प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ) पहली वार्षिक वृद्धि एक वर्ष + छह माह के पूरे होने के बाद लागू होगी इसके बाद वार्षिक वृद्धि वहां से एक साल की अवधि के पूरा होने के बाद ही लागू होगी।	* लाइसेंस शुल्क पर लागू दरों के अनुसार "वस्तु एवं सेवा कर" (वर्तमान दर 18%) एवं 10% उपयोगिता एवं सुविधा शुल्क (आवंटित स्थान किराये पर जिसकी वर्तमान दर 1000/- प्रति वर्ग मीटर तथा जिसमें प्रतिवर्ष 01 अप्रैल को भा.वि.प्रा. नियमानुसार वृद्धि होती है।)
पहला	28,021/- रु.	
दूसरा	30,823/- रु.	
तीसरा	33,905/- रु.	
चौथा	37,296/- रु.	
पांचवा	41,026/- रु.	

2. प्रतिमाह देय राशि -

(अ)	लाइसेंस शुल्क =	28,021/- रु.
(ब)	उपयोगिता एवं सुविधा शुल्क आवंटित स्थान 15.00 वर्ग मी. के किराया का 10% (वर्तमान किराया दर 1000/- प्रति वर्ग मीटर प्रति माह) =	1,500.00/- रु.
(स)	(‘अ’ और ‘ब’) योग =	29,521.00/- रु.
(द)	वस्तु एवं सेवा कर लागू ‘स’ (वर्तमान दर 18%) =	5,314.00/- रु.
	(स + द) योग =	34,835/- रु.

पृष्ठ संख्या – 1/3

विमानपत्तन निदेशक कार्यालय, सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर-342011, दूरभाष: 0291-2595201 निवास: 0291- 6550727 फैक्स: 0291-2512934

O/o Airport Director, Civil Airport, Jodhpur – 342011, Ph : 0291-2595201 Resi.: 0291-6550727 Fax: 0291-2512934

“हिन्दी पत्रों का स्वागत है।”



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

3. सुरक्षा धनराशि -

(अ)	06 माह की लाइसेंस शुल्क (अंतिम वर्ष)	=	2,46,156/- रु.
(ब)	विद्युत शुल्क हेतु	=	50,000/- रु.
		('अ' और 'ब') योग =	2,96,156/- रु.

- लाइसेंस धारक को 07 दिन के अन्दर मूल निविदा प्रपत्रों / तकनीकी दस्तावेजों के साथ मंजूरी पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- लाइसेंस धारक को एक माह की अग्रिम लाइसेंस फीस (34,835/- रुपये) अवॉर्ड पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी।
- लाइसेंस धारक को अवॉर्ड पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर सुरक्षा धनराशि निम्नानुसार जमा करानी होगी :-
अ. सुरक्षा धन राशि का 50 प्रतिशत **1,48,078.00 रुपये** की बैंक गारंटी कोई भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सहकारी अनुसूचित बैंको द्वारा जारी किसी भी बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जाएगा) के रूप में जमा करानी होगी।
ब. सुरक्षा धन राशि का 50 प्रतिशत **1,48,078.00 रुपये** का डिमांड ड्राफ्ट /आरटीजीएस/एनईएफटी के रूप में जमा करानी होगी।
- अवॉर्ड पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर करारनामा (लाइसेंस एग्रीमेंट) दो प्रति में प्रस्तुत करना होगा।
- उक्त 4, 5, 6 एवं 7 की कार्यवाही करने के उपरांत ही स्थान सुपुर्द (Site Handover) की जाएगी अन्यथा इस अवॉर्ड पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।**
- चूंकि उक्त अनुबंध की सुविधा का संचालन वर्तमान में भी आपकी फर्म द्वारा सशर्त विस्तार पर ही किया जा रहा है जिसकी अवधि इस पत्र की दिनांक 26.04.2021 के साथ समाप्त होगी। अतः इस पत्र के माध्यम से आपको अवॉर्ड किए गए अनुबंध के वास्तविक वाणिज्यिक संचालन के आरंभ तिथि **27.04.2021** से लागू होगी।
- लाइसेंस धारक को लाइसेंस फीस का भुगतान अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक करना होगा। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया जाता तो भा.वि.प्रा. के द्वारा लागू नीति के अनुसार ब्याज लिया जाएगा जो कि वर्तमान में प्रथम माह में 12 प्रतिशत वार्षिक तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिया जाएगा।
- विद्युत उपयोग हेतु लाइसेंस धारक को स्वयं के खर्चे पर विद्युत मीटर खरीदना होगा तथा भा.वि.प्रा. के विद्युत अनुभाग से जांच करवाने के पश्चात् स्थापित करवाना होगा। वर्तमान में विद्युत शुल्क की दर 12.05/- रु.प्रति यूनिट है। यह दर मुख्यालय द्वारा बदले जाने की दशा में तदनुसार देय होगी।
- लाइसेंस धारक द्वारा इस अनुबंध की तय समय सीमा के 50% समय तक अनुबंध पूरा नहीं करने की दशा में फर्म को वंचित (Debar) किया जा सकता है।
- इस लाइसेंस को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त किया जा सकता है:-
(अ) दोनों पार्टियों द्वारा 120 दिन पूर्व इस सम्बन्ध में नोटिस देने पर।
(ब) भा.वि.प्रा. द्वारा असंतोषजनक निष्पादन पाए जाने पर (लघु सूचना पर)।
(स) अनिर्णित आंतरिक प्रतिवादों के लिए निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर।
- लाइसेंस धारक द्वारा निर्धारित समय से पहले इस अनुबंध को समाप्त करने की दशा में भा.वि.प्रा. की वाणिज्यिक नीति के demurrage charges अदा करने होंगे।
- लाइसेंस धारक के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन पुलिस विभाग द्वारा नियुक्ति पूर्व करवाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस धारक द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सूची, जो विमानक्षेत्र पर नियुक्त किये जायेंगे, भा.वि.प्रा. को भेजना आवश्यक है।

पृष्ठ संख्या - 2/3

विमानपत्तन निदेशक कार्यालय, सिविल हवाई अड्डा, जोधपुर-342011, दूरभाष: 0291-2595201 निवास: 0291- 6550727 फैक्स: 0291-2512934

O/o Airport Director, Civil Airport, Jodhpur - 342011, Ph : 0291-2595201 Resi.: 0291-6550727 Fax: 0291-2512934

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

G



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

16. आवंटित स्थान पर किसी प्रकार का सिविल अथवा विद्युत सम्बंधित कार्य कराने की अनुमति नहीं है। ऐसे किसी कार्य के लिए विस्तृत प्लान के साथ भा.वि.प्रा. की अनुमति लेना आवश्यक है।
17. आवंटित स्थान को लाइसेंस धारक द्वारा किसी और पार्टी को लीज या लाइसेंस पर नहीं दिया जा सकता है।
18. विमानक्षेत्र में किसी भी एरिया में व्यापार आरंभ करने से पूर्व, अपनी e-sahaj portal के माध्यम से सुरक्षा जांच करानी होगी तथा क्षेत्रीय निदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, जयपुर के द्वारा एजेंसी को अपना सिक्यूरिटी प्रोग्राम अनुमोदित करवाना अनिवार्य है। उक्त अनुमोदन उत्पादनपूर्व अवधि (Gestation Period) में ही किया जाना है (यदि लागू हो), इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा।
19. करारनामे एवं निविदा प्रपत्र की सभी शर्तें इस अवॉर्ड पत्र का एक हिस्सा होंगी।

कृपया इस पत्र की पावती प्रेषित करें।

भवदीय


(जी.के. खरे)

निदेशक विमानपत्तन
सिविल एन्क्लेव, जोधपुर।

प्रतिलिपि:-

- क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (उ.क्षे.), भा.वि.प्रा., प्रचालन कार्यालय, गुडगांव रोड, रंगपुरी, नई दिल्ली-37.
- महाप्रबंधक (वाणिज्यिक), भा.वि.प्रा., राजीव गाँधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-03

आन्तरिक वितरण -

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| - सहायक महाप्रबंधक (अभि. सिविल) | - सहायक महाप्रबंधक (वित्त) |
| - वरिष्ठ प्रबंधक (अभि. विद्युत) | - वरिष्ठ प्रबंधक (सुरक्षा) |
| - कनिष्ठ कार्यपालक (प्रचालन) | - गार्ड फाइल |

पृष्ठ संख्या - 3/3

"हिन्दी पत्रों का स्वागत है।"

Signature Not Verified

Digitally signed by SURENDRA BARIYA
Date: 2021.04.26 11:22:12 IST
Location: eProcurement System for
Central PSUs